



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 1993/चैत्र 3, 1915
No. 109] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 24, 1993/CHAITRA 3, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा.का.नि. 297(ख).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधि-
नियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा
(1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा
अभिलेख (सीमेंट) नियम, 1966 का और संशोधन करने के
लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख
(सीमेंट) संशोधन नियम 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (सीमेंट) नियम, 1966 के नियम

2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण :
रखा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “लघु
औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल
मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन की साठ लाख रुपये
से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी
या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(i) कंपनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र
की दशा में, उस पर कंपनी की लागत; और

(ii) कंपनी द्वारा पट्टे पर या अवक्रम आधार पर
धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनर
या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कंपनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किए गए आपन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।”

[फा सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्ले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1402 तारीख 12-9-1966 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

- (1) सा.का.नि. 1245 तारीख 9-8-1967
- (2) सा.का.नि. 86 तारीख 4-1-1968
- (3) सा.का.नि. 772 तारीख 3-6-1977
- (4) सा.का.नि. 14 तारीख 5-1-1983
- (5) सा.का.नि. 537, तारीख 22-7-1989

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 297(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Cement) Rules, 1966, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Cement) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Cement) Rules, 1966 in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

“Explanation.—For the purposes of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means a company—

(a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

(i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and

(ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by fire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

(b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees.”

[F. No. 52/229/77-CAB]
SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note—Principal rules were published vide Notification No. G.S.R. 1402, dated 12th September, 1966.

*Subsequently amended by :

- (i) GSR 1245, dated 9-8-1967;
- (ii) GSR 86, dated 4-1-1968;
- (iii) GSR 772, dated 3-6-1977;
- (iv) GSR 14, dated 5-1-1983;
- (v) GSR 537 dated 22-7-1989.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा.का.नि. 298(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (साईकिल) नियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (साईकिल) संशोधन नियम 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (साईकिल) नियम, 1967 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठावित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपये से अधिक नहीं, और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(i) कंपनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कंपनी की उन्नत; और

(ii) कंपनी द्वारा पट्टे पर या अन्वय्य आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी को उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कंपनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किए गए आपन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।”

[फा सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्ले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.
सा.का.नि. 311 तारीख 2 मार्च, 1967 द्वारा
प्रकाशित किये गए थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

- (1) सा.का.नि. 1244 तारीख 7-8-1967
- (2) सा.का.नि. 84 तारीख 4-1-1968
- (3) सा.का.नि. 774 तारीख 3-6-1977
- (4) सा.का.नि. 1270 तारीख 10-10-1979
- (5) सा.का.नि. 15 तारीख 8-1-1983
- (6) सा.का.नि. 538 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 298(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of Section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Cycles) Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Cycles) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Cycles) Rules, 1967, in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

“Explanation.—For the purposes of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means a company—

(a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

(i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and

(ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

(b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees.”

[F. No. 52/229/77-CAB]
SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note : Principal rules were published vide Notification No. GSR 311, dated the 2nd March, 1967.

Subsequently amended by :

- (i) GSR 1244 dated 7-8-1967
- (ii) GSR 84 dated 4-1-1968
- (iii) GSR 774 dated 3-6-1977
- (iv) GSR 1270 dated 10-10-1979
- (v) GSR 15 dated 8-1-1983
- (vi) GSR 538 dated 22-7-1989

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा.का.नि. 299(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (टायर और ट्यूब) नियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (टायर और ट्यूब) संशोधन नियम 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (टायर और ट्यूब) नियम, 1967 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपए से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(1) कंपनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कंपनी की लागत; और

(2) कंपनी द्वारा पट्टे पर या अवैक्य आधार पर आधारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) “जिसमें कंपनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किए गए आय का कुल मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।”

[फा. सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्ले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1260 तारीख 10-8-67 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

- (1) का.आ. 1192 तारीख 21-3-1968
- (2) सा.का.नि. 2012 तारीख 6-11-1968
- (3) सा.का.नि. 775 तारीख 3-6-1977
- (4) सा.का.नि. 1271 तारीख 10-10-1979
- (5) सा.का.नि. 16 तारीख 8-1-1983
- (6) सा.का.नि. 539 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 299(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Tyres and Tubes) Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Tyres and Tubes) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Tyres and Tubes) Rules, 1967, in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

"Explanation.—For the purposes of this rule, the expression "small scale industrial undertaking" means a company—

(a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be—

(i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and

(ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees."

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note—Principal rules were published vide Notification No. G.S.R. 1260, dated 10-8-67.

Subsequently amended by :

- (i) S.O. 1192, dated 21-3-1968
- (ii) GSR 2012 dated 6-11-1968
- (iii) GSR 775, dated 3-6-1977
- (iv) GSR 1271, dated 10-10-1979
- (v) GSR 16, dated 8-1-1983
- (vi) GSR 539, dated 22-7-1989.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा.का.नि. 300(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (कास्टिक सोडा) नियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (कास्टिक सोडा) संशोधन नियम 1993 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (कास्टिक सोडा) नियम, 1967 के नियम 2 में स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "लघु औद्योगिक उपक्रम" अभिव्यक्ति से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपए से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(1) कंपनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कंपनी की लागत; और

(2) कंपनी द्वारा पट्टे पर या अर्द्धकाल आधर पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कंपनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किए गए आपन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।"

[फा. सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्ले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1261 तारीख 11-8-1967 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

- (1) सा.का.नि. 85 तारीख 4-1-1968
- (2) सा.का.नि. 773 तारीख 3-6-1977
- (3) सा.का.नि. 17 तारीख 8-1-1983
- (4) सा.का.नि. 540 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 300(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Caustic Soda) Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Caustic Soda) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Caustic Soda) Rules, 1967, in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

"Explanation.—For the purposes of this rule, the expression "small scale industrial undertaking" means a company—

(a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh

rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

- (i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and
- (ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and
- (3) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees."

[F. No. 52/229/77-CAB]
SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note.—Principal rules were published vide Notification No. G.S.R. 1261, dated 11-8-1967.

Subsequently amended by :

- (i) GSR 85, dated 4-1-1968
- (ii) GSR 773, dated 3-6-1977
- (iii) GSR 17, dated 8-1-1983
- (iv) GSR 540 dated 22-7-1989

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च 1993

सा.का.नि. 301(घ) —केंद्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (ब) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (कक्ष वातानुकूलक) नियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (कक्ष वातानुकूलक) संशोधन नियम 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

2. लागत लेखा अभिलेख (कक्ष वातानुकूलक) नियम, 1967 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपये से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(i) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और

(ii) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या अवक्रम्य आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी को उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किए गए आय का कुल मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।”

[फा.सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्लै, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 1447 तारीख 16-9-1967 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

- (i) सा.का.नि. 1506 तारीख 5-8-1968
- (ii) सा.का.नि. 784 तारीख 3-6-1977
- (iii) सा.का.नि. 18 तारीख 8-1-1983
- (iv) सा.का.नि. 541 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 301(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Room Air-conditioners) Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Room Air-Conditioners) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Room Air-conditioners) Rules, 1967, in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

“Explanation.—For the purposes of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means a company—

- (a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

- (i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and
- (ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and
- (b) the aggregate value of realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees.”

[F. No. 52/229/77-CAB]
SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note—Principal rules were published vide Notification No. G.S.R. 1447, dated 16-9-1967.

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1448 तारीख 16-9-1967 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

Subsequently amended by :

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

- (i) GSR 1506, dated 5-8-1968
- (ii) GSR 784, dated 3-6-1977
- (iii) GSR 18, dated 8-1-1983
- (iv) GSR 541, dated 22-7-1989.

- (i) सा.का.नि. 1505 तारीख 5-8-1968
- (ii) सा.का.नि. 781 तारीख 3-6-1977
- (iii) सा.का.नि. 19 तारीख 8-1-1983
- (iv) सा.का.नि. 542 तारीख 22-7-1989

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा.का.नि. 302(घ).—केन्द्रीय सरकार कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (प्रशीतक) नियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम ब्रह्मती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (प्रशीतक) संशोधन नियम 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (प्रशीतक) नियम, 1967 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपए से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(i) कम्पनी के स्वामित्वधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और

(ii) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या ब्रह्मक्य आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किए गए आय का कुल मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।”

[फा.सं. 52/229/77-सी.ए.वी.]

सुधा पिल्लै, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993.

G.S.R. 302(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Refrigerators) Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Refrigerators) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Refrigerators) Rules, 1967, in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely—

“Explanation.—For the purposes of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means

a company—

(a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

(i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and

(ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

(b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees.”

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note—Principal rules were published vide Notification No. G.S.R. 1448, dated 16-9-1967.

Subsequently amended by :

- (i) GSR 1505, dated 5-8-1968
- (ii) GSR 781, dated 3-6-1977
- (iii) GSR 19, dated 8-1-1983
- (iv) GSR 542, dated 22-7-89.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

सा.का.नि. 303(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (प्र) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (मोटर गाड़ी बैटरी) नियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (मोटर गाड़ी बैटरी) संशोधन नियम 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (मोटर गाड़ी बैटरी) नियम 1967 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के अर्थों के लिए, ‘लघु औद्योगिक उपकरण’ अभिव्यक्ति में ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपये से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(i) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और

(ii) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या अवक्रीय आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी को उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय का प्रदाय से किए गए आपन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।”

[फा.सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्लै, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 1467 तारीख 20-9-1967 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

- (i) सा.का.नि. 1507 तारीख 5-8-1968
- (ii) सा.का.नि. 778 तारीख 3-6-1977
- (iii) सा.का.नि. 20 तारीख 8-1-1983
- (iv) सा.का.नि. 543 तारीख 22-7-1989

G.S.R. 303(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Automobile Batteries) Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Automobile Batteries) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Automobile Batteries) Rules, 1967, in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

“Explanation.—For the purposes of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means a company—

(a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

- (i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and
- (ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and
- (b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees.”

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Subsequently amended by :

Note.—Principal rules were published vide Notification No. G.S.R. 1467, dated 20-9-1967.

- (i) GSR 1507, dated 5-8-1968
- (ii) GSR 778, dated 3-6-1977
- (iii) GSR 20, dated 8-1-1983
- (iv) GSR 543 dated 22-7-1989

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च 1993

सा.का.नि. 304(अ).—केन्द्रीय सरकार कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (ब) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (विद्युत् लैम्प) नियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (विद्युत् लैम्प) संशोधन नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (विद्युत् लैम्प) नियम, 1967 के नियम 2 में स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपये से अधिक न हो और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

- (1) कंपनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में उस पर कंपनी की लागत; और
 - (2) कंपनी द्वारा पट्टे पर या ब्यक्त्य आध्दर पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और
- (ख) जिसमें कंपनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के बिक्रय या प्रदाय से किए गए आय का कुल मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।”

[फा. सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्ले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1503 तारीख 27-9-1967 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।

तत्पश्चात्-निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:

- (1) सा.का.नि. 779 तारीख 3-6-1977
- (2) सा.का.नि. 1272 तारीख 10-10-1979
- (3) सा.का.नि. 21 तारीख 8-1-1983
- (4) सा.का.नि. 544 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 304(E) in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Electric Lamps) Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Electric Lamps) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Electric Lamps) Rules, 1967 in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

“Explanation.—For the purposes of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means a company—

(a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

(i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and

(ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

(b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees.”

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note—Principal rules were published vide Notification No. G.S.R. 1503, dated 27-9-1967.

Subsequently amended by :

(i) GSR 779, dated 3-6-1977

(ii) GSR 1272, dated 10-10-1979

(iii) GSR 21, dated 8-1-1983

(iv) GSR 544, dated 22-7-1989

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा. का. नि. 305(अ).—केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (विद्युत् पंखे) नियम, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (विद्युत् पंखे) संशोधन नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (विद्युत् पंखे) नियम, 1969 के नियम 2 में स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपये से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(1) कंपनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कंपनी की लागत; और

- (2) कंपनी द्वारा पट्टे पर या अवक्रम्य आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और
- (ख) जिसमें कंपनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किए गए आपन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।”

[फा. सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्लै, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 2298 तारीख 15-9-1969 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

- (1) सा.का.नि. 785 तारीख 3-6-1977
- (2) सा.का.नि. 1273 तारीख 10-10-1979
- (3) सा.का.नि. 22 तारीख 8-1-1983
- (4) सा.का.नि. 545 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 305(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Electric Fans) Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Electric Fans) Amendment Rules, 1993

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Electric Fans) Rules, 1969, in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

“Explanation.—For the purposes of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means a company—

- (a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

- (i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and
- (ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and
- (b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees.”

[F. No. 52/229/77-CAB]
SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note.—Principal rules were published vide Notification No. G.S.R. 2298, dated 15-9-1969.

Subsequently amended by :

- (i) GSR 785, dated 3-6-1977
- (ii) GSR 1273, dated 10-10-1979
- (iii) GSR 22, dated 8-1-1983
- (iv) GSR 545, dated 22-7-1989

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च 1993

सा.का.नि. 306(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (विद्युत् मोटर) नियम, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (विद्युत् मोटर) संशोधन नियम, 1993 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागत लेखा अभिलेख (विद्युत् मोटर) नियम, 1969 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है—

- (क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपए से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

- (1) कंपनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कंपनी की लागत; और
- (2) कंपनी द्वारा पट्टे पर या अवक्रम्य आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस लागत; और

- (ख) जिसमें कंपनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किए गए आपन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।”

[फा. सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्लै, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 2574 तारीख 24-10-1969 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

- (1) सा.का.नि. 786 तारीख 3-6-1977

(2) सा.का.नि. 1274 तारीख 10-10-1979

(3) सा.का.नि. 23 तारीख 8-1-1983

(4) सा.का.नि. 546 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 306(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Electric Motors) Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Electric Motors) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Electric Motors) Rules, 1969, in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

“Explanation.—For the purposes of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means a company—

(a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

- in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and
- in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and
- the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees.”

[F. No. 52/229/77-CAB]
SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note—Principal rules were published vide Notification No. G.S.R. 2574, dated 24-10-1969.

Subsequently amended by :

- GSR 786, dated 3-6-1977
- GSR 1274, dated 10-10-1979
- GSR 23, dated 8-1-1983
- GSR 546, dated 22-7-1989

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा.का.नि. 307(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (मोटर यान) नियम, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- इन नियमों का संक्षिप्त नाम - लागत लेखा अभिलेख (मोटरयान) संशोधन नियम 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (मोटर यान) नियम, 1969 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपये से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

- कंपनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कंपनी की लागत; और
- कंपनी द्वारा पट्टे पर या अवक्रम आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कंपनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किए गए आपन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।”

[फा सं० 52/229/77-सी ए बी]

सुधा पिल्लै, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1465 तारीख 17-5-1969 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

- सा.का.नि. 782 तारीख 3-6-1977
- सा.का.नि. 24 तारीख 8-1-1983
- सा.का.नि. 547 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 307(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Motor Vehicles) Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Motor Vehicles) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Motor Vehicles) Rules, 1969, in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

"Explanation.—For the purposes of this rule, the expression "small scale industrial undertaking" means a company—

- (a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

- (i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and
(ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and
(b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees."

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note.—Principal rules were published vide Notification No. G.S.R. 1465 dated 17-5-1969.

Subsequently amended by :

- (i) GSR 782, dated 3-6-1977
(ii) GSR 24, dated 8-1-1983
(iii) GSR 547, dated 22-7-1989

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा. का. नि. 308(अ)—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (ट्रैक्टर) नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (ट्रैक्टर) संशोधन नियम 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (ट्रैक्टर) नियम, 1971 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "लघु औद्योगिक उपक्रम" अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है :—

(क) जिसमें प्रतिष्ठित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपए

से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा :—

(i) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में उस पर कम्पनी की लागत, और

(ii) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या अवक्रम-आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत, और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किए गए आपन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।"

[फा. सं. 53/229/77-सी. ए. बी.]

सुधा पिल्लै, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1700 तारीख 28-6-1971 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:—

- (i) सा. का. नि. 776 तारीख 3-6-1977
(ii) सा. का. नि. 660 तारीख 25-4-1979
(iii) सा. का. नि. 25 तारीख 8-1-1983
(iv) सा. का. नि. 548 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 308(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Tractors) Rules, 1971, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Tractors) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Tractors) Rules, 1971, in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

"Explanation.—For the purposes of this rule, the expression "small scale industrial undertaking" means a company—

- (a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

- (i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and
(ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

(b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees."

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note—Principal rules were published vide Notification No. G.S.R. 1700, dated 28-6-1971.

Subsequently amended by :

- (i) GSR 776, dated 3-6-1977
- (ii) GSR 660, dated 25-4-1979
- (iii) GSR 25, dated 8-1-1983
- (iv) GSR 548, dated 22-7-1989

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा. का. नि. 309 (अ):— केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (एल्यूमीनियम) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (एल्यूमीनियम) संशोधन नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (एल्यूमीनियम) नियम, 1972 के नियम 2 में स्वष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्वष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"स्वष्टीकरण:— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "लघु औद्योगिक उपक्रम" अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपए से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा।

(i) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की संपत्ति; और

(ii) कम्पनी द्वारा पट्टे पर वा अवक्रमे आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किए गए संपादन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।"

[फा. सं. 52/229/77/सी-ए-बी०]

सुधा पिल्लै, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 334 तारीख 25-2-1972 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

- (i) सा. का. नि. 777 तारीख 3-6-1977
- (ii) सा. का. नि. 26 तारीख 8-1-1983
- (iii) सा. का. नि. 549 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 309(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Aluminium) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Aluminium) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Aluminium) Rules, 1972, in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

"Explanation.—For the purposes of this rule, the expression "small scale industrial undertaking" means a company—

- (a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

- (i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and
- (ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

- (b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees."

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note—Principal rules were published vide Notification No. G.S.R. 334, dated 25-2-1972.

Subsequently amended by :

- (i) GSR 777, dated 3-6-1977,
- (ii) GSR 26, dated 8-1-1983, and
- (iii) GSR 549, dated 22-7-1989.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा. का. नि. 310(अ) :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (i) के खंड (ब) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (वनस्पति) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (वनस्पति) संशोधन नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (वनस्पति) नियम, 1972 में नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम, रखा जाएगा अर्थात् :—

“2 लागू होना— नियम लघु उद्योग उपक्रम को छोड़कर परिष्कृत वनस्पति तेलों और वनस्पति तेल उत्पादन तथा औद्योगिक जमाएँ हुए तेल के भी उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण में लगी हुई प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे।

“स्पष्टीकरण (i) इस नियम के प्रयोजनों के लिए “लघु औद्योगिक उपक्रम” से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है :—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपये से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा :—

(अ) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत, और

(आ) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या अवकथ आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किए गए आपन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।”

(ii) “परिष्कृत वनस्पति तेल” से कोई ऐसा खाद्य वनस्पति तेल अभिप्रेत है जो निष्पीडित या विलायक निष्कर्षण से अभिप्राप्त किया गया है, क्षार या भौतिक परिष्करण या दोनों से अथवा अनुज्ञात खाद्यान्न विलायक का प्रयोग करके मिश्रण मिलेलिया परिष्करण द्वारा अम्लरहित किया गया है, अवशोषक मुद्रा और/या सक्रियित कार्बन से विरंजित, और वाष्प में निर्गन्धीकृत किया गया है :

परन्तु जहाँ वनस्पति तेल का उपक्रम द्वारा उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण ही किया गया है वहाँ उसके उत्पादन की लागत भी बताई जाएगी ;

(iii) “वनस्पति तेल उत्पाद” से कोई ऐसा वनस्पति तेल अभिप्रेत है जिसके संबंध में किसी भी रूप से हाईड्रोजनीकरण का या खाद्य प्रयोजनों के लिए किसी अन्य पदार्थ के साथ उसके अधिमिश्रण की प्रक्रिया की गई है :

परन्तु भवे निष्पिडित तेल, विलायक निष्कर्षण तेल, परिष्कृत तेल, वनस्पति, मारगरीन और बैकरी चिकनाई को खाद्य अधिमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 / विलायक निष्कर्षित तेल, विलेपित अवचूर्ण और खाद्य निचूर्ण (नियंत्रण) आदेश, 1967 और वनस्पति तेल उत्पाद (नियंत्रण) आदेश, 1947 के अन्तर्गत बनाए जाएंगे।”

[फा. सं. 52/229/77 सी ए बी]

सुधा पिल्ले, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1529 तारीख 27-11-1972 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

- (i) सा. का. नि. 780 तारीख 3-6-1977
- (ii) सा. का. नि. 27 तारीख 8-1-1983
- (iii) सा. का. नि. 550 तारीख 22-7-1989
- (iv) सा. का. नि. 287 तारीख 29-5-1992

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 310(E).—In exercise of powers conferred by sub-Section (1) of Section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of Section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Vanaspati) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Vanaspati) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Vanaspati) Rules, 1972, for rule 2 the following rule shall be substituted namely :—

“2. Application.—These rules shall apply to every company, except the small scale industrial undertakings, engaged in production, processing or manufacturing of refined vegetable oils and vegetable oil products and also Industrial Hard Oil.

Explanation.—For the purposes of this rule,—

(i) “Small scale industrial undertaking” means a company :—

(a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

(A) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and

(a) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

(b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees;

(ii) "refined vegetable oil" means any edible vegetable oil which is obtained by expression or solvent extraction, deacidified with alkali or with physical refining or both or by miscella refining using permitted food grade solvent bleached with absorbent earth and/or activated carbon and deodorised with steam;

Provided that where vegetable oil is also produced, processed or manufactured by the undertaking, the cost of production thereof would also be disclosed;

(iii) "Vegetable Oil Products" means any vegetable oil subjected to a process of hydrogenation in any form or admixture thereof with any other substance for edible purposes;

Provided that items expressed oil, solvent extraction oil, refined oil, vanaspathi, margarine and bakery shortening should conform to the respective quality standard as laid down under the provision of Food Adulteration Act, 1954 the Solvent-Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967 and the Vegetable Oil Products (Control) Order, 1947."

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, J. Secy.

Note.—Principle rules were published vide Notification No. G.S.R. 1529 dated 27-11-1972 and subsequently amended by —

- (i) GSR 780, dated 3-6-1977; and
- (ii) GSR 27, dated 8-1-1983; and
- (iii) GSR 550 dated 22-7-1989,
- (iv) GSR 287 dated 29-5-1992.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा.का.नि. 311(अ) :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न लेखा अधिलेख (प्रपूज अधिसूचि) नियम, 1974 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अर्थात् लेखा अधिलेख (प्रपूज अधिसूचि) संशोधन नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अधिलेख (प्रपूज अधिसूचि) नियम, 1974 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जायेगा, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिये, "लेखा अधिसूचि उपक्रम" अधिनियम से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही के अंत में लेखा अधिसूचि से अधिक नहीं, और इस प्रयोजन के लिये, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(i) कम्पनी के स्वामित्वधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और

(ii) कम्पनी द्वारा पहले पर या अर्थात् आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रवाय से किये गये आय का कुल मूल्य उस-करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।"

[फा.सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्लै संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र प्रकाशन में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 130(अ) तारीख 14-3-1974 द्वारा प्रकाशित किये गये थे :

उपरोक्त निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

- (i) सा.का.नि. 789 तारीख 3-6-1977
- (ii) सा.का.नि. 1275 तारीख 10-10-1979
- (iii) सा.का.नि. 28 तारीख 8-1-1983
- (iv) सा.का.नि. 505 तारीख 26-5-1984
- (v) सा.का.नि. 551 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 311(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (b) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Bulk Drugs) Rules, 1974, namely—

1 (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Bulk Drugs) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Bulk Drugs) Rules, 1974, in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

"Explanation.—For the purposes of the rule, the expression "small scale industrial undertaking" means a company—

(a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

(i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and

(ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

(b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees."

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note.—Principal rules were published vide Notification No. G.S.R. 130(E), dated 14-3-1974 published in the Gazette of India, Extraordinary,

Subsequently amended by :

(i) GSR No. 789, dated 3-6-1977

(ii) GSR 1275, dated 10-10-1979

(iii) GSR 28, dated 8-1-1983

(iv) GSR 505, dated 26-5-1984.

(v) GSR 551, dated 22-7-1989.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा.का.नि. 312(अ) :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (चीनी) नियम 1974 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (चीनी) संशोधन नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (चीनी) नियम, 1974 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित, स्पष्टीकरण रखा जायगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिये, "लघु औद्योगिक उपक्रम" अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ

लाख रुपये से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिये किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(i) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और

(ii) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या अवक्रीय आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किये गये अप्रपन का कुल मूल्य दम करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।"

[फा.सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्ले, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 982 तारीख 4-9-1974 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

(i) सा.का.नि. 783 तारीख 3-6-1977

(ii) सा.का.नि. 29 तारीख 8-1-1983

(iii) सा.का.नि. 552 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 312(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Sugar) Rules, 1974, namely :

1 (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Sugar) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Sugar) Rules, 1974, in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

"Explanation.—For the purposes of this rule, the expression "small scale industrial undertaking" means a company,—

(a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakhs as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

(i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and

(ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

(b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees."

किये गये आपन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।"

[F. No. 52/229/77-CAB]

[फा.सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

सुधा पिल्लै, संयुक्त सचिव

Note.—Principal rules were published vide Notification No. G.S.R. 982, dated 4-9-1974.

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 701(अ) तारीख 27-12-1974 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

Subsequently amended by :

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

(i) GSR 783 dated 3-6-1977

(1) सा.का.नि. 794 तारीख 3-6-1977

(ii) GSR 29 dated 8-1-1983

(2) सा.का.नि. 30 तारीख 8-1-1983

(iii) GSR 552 dated 22-7-1989.

(3) सा.का.नि. 553 तारीख 22-7-1989

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

New Delhi, the 24th March, 1993

सा.का.नि. 313(अ) :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (शिशु दुग्ध आहार) नियम, 1974 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

G.S.R. 313(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Infant Milk Food) Rules, 1974, namely :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (शिशु दुग्ध आहार) संशोधन नियम, 1993 है।

1 (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Infant Milk Food) Amendment Rules, 1993.

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. लागत लेखा अभिलेख (शिशु दुग्ध आहार) नियम, 1974 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जायेगा, अर्थात् :—

2. In the Cost Accounting Records (Infant Milk Food) Rules, 1974 in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

"Explanation.—For the purposes of this rule, the expression "small scale industrial undertaking" means a company—

"स्पष्टीकरण :—इस नियम के प्रयोजनों के लिये, "लघु औद्योगिक उपक्रम" अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है—

(a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपये से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिये, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and

(ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

(b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees."

(1) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और

(2) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या अवक्रीय आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note.—Principal rules were published vide Notification No. G.S.R. 701(E) dated 27-12-1974.

Subsequently amended by :

(i) GSR 794 dated 3-6-1977

(ii) GSR 30 dated 8-1-1983

(iii) GSR 553, dated 22-7-1989.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

सा.का.नि. 314(अ) :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (औद्योगिक एल्कोहल) नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (औद्योगिक एल्कोहल) संशोधन नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (औद्योगिक एल्कोहल) नियम, 1975 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जायेगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिये, “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपये से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिये, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(1) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और

(2) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या अवक्रम आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किये गये आपन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।”

[फा.सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्ले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 594(अ) तारीख 30-12-1975 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

(1) सा.का.नि. 792 तारीख 3-6-1977

(2) सा.का.नि. 31 तारीख 8-1-1983

(3) सा.का.नि. 554 तारीख 22-7-1989

735 GI/93-3

G.S.R. 314(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of Section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Industrial Alcohol) Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Industrial Alcohol) Amendment Rules, 1993.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Industrial Alcohol) Rules, 1975 in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

“Explanation—For the purposes of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means a company—

- (a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and; for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

- (i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and
- (ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

- (b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees.”

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note.—Principal rules were published vide Notification No. G.S.R. 594(E) dated 30-12-1975.

Subsequently amended by :

- (i) GSR 792 dated 3-6-1977
- (ii) GSR 31 dated 8-1-1983
- (iii) GSR 554 dated 22-7-1989

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा.का.नि. 315(अ) :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (जूट माल) नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (जूट माल) संशोधन नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (जुटे गूड्स) नियम, 1975 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जायेगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिये “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है:—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपये से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिये, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(1) कम्पनी के स्वामित्वधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और

(2) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या ब्रबकथ आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किये गये अग्रक का कुल मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।”

[फा. सं. 52 229/77-सी. ए. वी.]

सुधा पिल्ले, संयुक्त सचिव

टिप्पणः—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना स. सां. का. नि. 590(अ) तारीख 29-12-1975 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:—

- (1) सा. का. नि. 793 तारीख 3-6-1977
- (2) सा. का. नि. 32 तारीख 8-1-1983
- (3) सा. का. नि. 42 तारीख 8-1-1983
- (4) सा. का. नि. 555 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 315(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of Section 209, of the Companies Act, 1956, (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Jute Goods) Rules, 1975, namely:—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Jute Goods) Amendment Rules, 1993.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Cost Accounting Records (Jute Goods) Rules, 1975 in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:—

“Explanation—For the purpose of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means a company—

(a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year, and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

- (i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and
- (ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and
- (b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees.”

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, J. Secy.

Note—Principal rules were published vide Notification No. GSR 590(E) dated 29-12-1975, published in the Gazette of India, Extraordinary,

Subsequently amended by :

- (i) GSR 793 dated 3-6-1977
- (ii) GSR 32 dated 8-1-1983
- (iii) GSR 42, dated 8-1-1983
- (iv) GSR 555 dated 22-7-1989

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा. का. नि. 316(अ) :—केन्द्रीय सरकार कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (कागज पत्र) नियम, 1975, का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (कागज पत्र) संशोधन नियम 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (कागज पत्र) नियम, 1975 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जायेगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है:—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपये से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिये, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(1) कम्पनी के स्वामित्वधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और

(2) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या अवक्रीय आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किये गये आपन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।”

[फा.सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्ले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 601(अ) तारीख 31-12-1975—द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:

- (1) सा.का.नि. 787 तारीख 3-6-1977
- (2) सा.का.नि. 1528 तारीख 18-12-1979
- (3) सा.का.नि. 33 तारीख 8-1-1983
- (4) सा.का.नि. 556 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 316(E).—In exercise of the powers conferred by section (1) of Section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of Section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Paper) Rules, 1975, namely:—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Paper) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Paper) Rules, 1975 in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:—

“Explanation— For the purposes of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means a company—

(a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and; for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

(i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and

(ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

(b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees.”

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note.—Principal rules were published vide Notification No. GSR 601(E), dated 31-12-1975.

Subsequently amended by :

- (i) GSR 787 dated 3-6-1977
- (ii) GSR 1528 dated 18-12-1979
- (iii) GSR 33, dated 8-1-1983
- (iv) GSR 556 dated 22-7-1989

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सांका०नि. 317(अ) :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (रैयान) नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (रैयान) संशोधन नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (रैयान) नियम, 1976 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, रखा जायेगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिये, “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपये से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिये, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(1) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और

(2) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या अवक्रीय आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किये गये आपन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।”

[फा.सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्ले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 606 तारीख 20-4-1976 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

- (1) सा.का.नि. 788 तारीख 3-6-1977
- (2) सा.का.नि. 34 तारीख 8-1-1983
- (3) सा.का.नि. 557 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

GS.R. 317(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of Section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Rayon) Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Rayon) Amendment Rules, 1993.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Cost Accounting Records (Rayon) Rules, 1976 in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

“Explanation— For the purposes of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means a company—

- (a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year, and; for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—
 - (i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company ; and
 - (ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant ; and
- (b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees.”

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note—Principal rules were published vide Notification No. GSR 606, dated 20-4-1976.

Subsequently amended by :

- (i) GSR 788, dated 3-6-1977
- (ii) GSR 34, dated 8-1-1983
- (iii) GSR 557, dated 22-7-1989.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा.का.नि. 318(अ) :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642

की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (रंजक) नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (रंजक) संशोधन नियम, 1993 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (रंजक) नियम, 1976 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जायेगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिये, “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है —

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपये से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिये किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(i) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और

(ii) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या अवक्रीय आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किये गये आय का कुल मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।”

[फा.सं. 52/229]77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्ले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 605 तारीख 22-4-1976 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

- (1) सा.का.नि. 791 तारीख 3-6-1977
- (2) सा.का.नि. 1270 तारीख 10-10-1979
- (3) सा.का.नि. 35 तारीख 8-1-1983
- (4) सा.का.नि. 558 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 318(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of Section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby makes the following

rules further to amend the Cost Accounting Records (Dyes) Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Dyes) Amendment Rules, 1993.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Cost Accounting Records (Dyes) Rules, 1976 in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

“Explanation.—For the purposes of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means a company—

- (a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and; for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

- (i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company ; and
- (ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant ; and
- (b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees.”

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note—Principal rules were published vide Notification No. GSR 605, dated 22-4-1976.

Subsequently amended by :

- (i) GSR 791, dated 3-6-1977
- (ii) GSR 1270, dated 10-10-1979
- (iii) GSR 35, dated 8-1-1983
- (iv) GSR 558, dated 22-07-1989

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा.का.नि. 319(अ):—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा, (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (सोडा क्षार) नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (सोडा क्षार) संशोधन नियम 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (सोडा क्षार) नियम, 1976 के नियम, 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “लघु औद्योगिक उपक्रम”—अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपए से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(i) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और

(ii) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या अवक्रीय आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किए गए आपन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।”

[फा. सं. 52/229/77-सी. ए. बी.]

सुधा पिल्ले, संयुक्त सचिव

टिप्पण:— मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1720 तारीख 29-5-1976 द्वारा प्रकाशन किये गए थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

- (i) सा.का.नि. 790 तारीख 3-6-1977
- (ii) सा.का.नि. 36 तारीख 8-1-1983.
- (iii) सा. का. नि. 559 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 319(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of Section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Soda Ash) Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Soda Ash) Amendment Rules, 1993.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Soda Ash) Rules, 1976 in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

“Explanation—For the purposes of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means a company—

- (a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and; for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

- (i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company ; and

(ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

(b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees."

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, Jr. Secy.

Note—Principal rules were published vide Notification No. GSR 1720, dated 29-5-1976.

Subsequently amended by :

(i) GSR 790, dated 3-6-1977

(ii) GSR 36, dated 8-1-1983

(iii) GSR 559, dated 22-7-1989.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा.का.नि. 320 (अ):—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (नाइलोन) नियम, 1977 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (नाइलोन) संशोधन नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (नाइलोन) नियम, 1977 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है:—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपए से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी का संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होता:—

(i) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और

(ii) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या श्रमिकों द्वारा पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी को उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रवाय से किए

गए आपन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।”

[फा. सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्ले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा. का नि. 157(अ) तारीख 1-4-77 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:

(i) सा.का.नि. 38 तारीख 8-1-1983

(ii) सा.का.नि. 560 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 320(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of Section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Rules (Nylon) Rules, 1977, namely:—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Nylon) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Nylon) Rules, 1977 in rule 2 for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:—

“Explanation—For the purposes of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means a company—

(a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

(i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and

(ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

(b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees.”

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, Jr. Secy.

Note—Principal rules were published vide Notification No. GSR 157(E), dated 1-4-1977.

Subsequently amended by :

(i) GSR 38, dated 8-1-1983

(ii) GSR 560, dated 22-7-1989

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

New Delhi, the 24th March, 1993

सा.का.नि. 321 (अ):—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (j) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (पालिएस्टर) नियम, 1977 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (पालिएस्टर) संशोधन नियम 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (पालिएस्टर) नियम, 1977 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है:—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपये से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा:—

(i) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और

(ii) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या अवक्रीय आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रीय या प्रदाय से किए गए आधन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।”

[फा. सं. 5/229/77—सी.ए.बी.]

सुधा पिल्ले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा. का. नि. 126(अ) तारीख 24-3-1977 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:

(i) सा.का.नि. 37, तारीख 8-1-1983

(ii) सा.का.नि. 561, तारीख 22-7-1989

G.S.R. 321(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of Section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Polyester) Rules, 1977, namely:—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Polyester) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Polyester) Rules, 1977 in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:—

“Explanation—For the purposes of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means a company—

(a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery of plant shall be,—

(i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and

(ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

(b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore-rupees.”

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note—Principal rules were published vide Notification No. GSR 126(E), dated 24-3-1977.

Subsequently amended by:

(i) GSR 37, dated 8-1-1983

(ii) GSR 561, dated 22-7-1989

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा.का.नि. 322(अ):—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (सूती कपड़ा) नियम, 1977 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (सूती कपड़ा) संशोधन नियम 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (सूती कपड़ा) नियम, 1977 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन को साठ लाख रुपये से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा:—

(i) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और

(ii) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या भवक्रीय आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किए गए आयन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।”

[फा. सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्लै, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 417(अ) तारीख 28-6-77 द्वारा प्रकाशित किये गए थे। तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:

- (i) सा.का.नि. 1277, तारीख 10-10-1979
- (ii) सा.का.नि. 40, तारीख 8-1-1983
- (iii) सा.का.नि. 1206, तारीख 8-12-1984
- (iv) सा.का.नि. 562, तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 322(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of Section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Cotton Textiles) Rules, 1977, namely:—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Cotton Textiles) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Cotton Textiles) Rules, 1977 in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:—

“Explanation—For the purposes of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means a company—

(a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and; for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

(i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and

(ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

(b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees.”

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note—Principal rules were published vide Notification No. GSR 417(E), dated 28-6-1977 published in the Gazette of India, Extraordinary,

Subsequently amended by:

- (i) GSR 1277 dated 10-10-1979
- (ii) GSR 40, dated 8-1-1983
- (iii) GSR 1206, dated 8-12-1984
- (iv) GSR 562, dated 22-7-1989

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा.का.नि. 323(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (ब) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (शुष्क सेल बैटरी) नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (शुष्क सेल बैटरी) संशोधन नियम 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (शुष्क सेल बैटरी) नियम, 1978 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन को साठ लाख रुपये से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(i) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और

(ii) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या अवक्रम आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किए गए आपन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।”

[फा. सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्ले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 45(अ) तारीख 31-1-1979 द्वारा प्रकाशित किये गए थे। तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:

- (i) सा.का.नि. 39 तारीख 8-1-1983
- (ii) सा.का.नि. 563 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 323(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of Section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Dry Cell Batteries) Rules, 1978, namely:—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting (Industrial Alcohol) Amendment Rules, 1993.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Industrial Alcohol) Rules, 1978 in rule 2, for the Explanation, the following explanation shall be substituted, namely:—

“Explanation—For the purposes of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means a company—

(a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

- (i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and
- (ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

(b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees.”

[F. No. 52/229/77-CAB]
SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note—Principal rules were published vide Notification No. GSR 45(E) dated 31-1-1979.

Subsequently amended by:

- (i) GSR 39, dated 8-1-1983
- (ii) GSR 563 dated 22-7-1989

735G/93-4

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा.का.नि. 324(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (सल्फ्यूरिक अम्ल) नियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (सल्फ्यूरिक अम्ल) संशोधन नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (सल्फ्यूरिक अम्ल) नियम, 1980 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन को साठ लाख रुपए से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(i) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या मशीन संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और

(ii) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या अवक्रम आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किए गए आपन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।”

[फा. सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्ले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 395(अ) तारीख 4-7-1980 में भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) पृष्ठ 679 से 699 पर प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:

- (i) सा.का.नि. 41 तारीख 8-1-1983
- (ii) सा.का.नि. 564 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 324(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of Section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Sulphuric Acid) Rules, 1980, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Sulphuric Acid) Amendment Rules, 1993.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Sulphuric Acid) Rules, 1980, in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

"Explanation.—For the purposes of this rule, the expression "small scale industrial undertaking" means a company—

- (a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year, and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—
 - (i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and
 - (ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and
- (b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees."

[F. No. 52/229/77-CAB]
SUDHA PILLAI, Jr. Secy.

Note—Principal rules were published vide Notification No. GSR 395(E), dated 4-7-1980, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) pages 679 to 699.

Subsequently amended by:

- (i) GSR 41 dated 8-1-1983
- (ii) GSR 564 dated 22-7-1989.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा.का.नि. 325 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (इस्पात ट्यूब और पाइप) नियम, 1984 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (इस्पात ट्यूब और पाइप) संशोधन नियम 1993 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (इस्पात ट्यूब और पाइप) नियम, 1984 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "लघु औद्योगिक उपक्रम" अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपए से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

- (i) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और
- (ii) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या अवक्य आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किए गए आय का कुल मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।"

[फा.सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्लै, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 506 तारीख 26-5-84 में भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (i) पृष्ठ 1170 से 1193 में प्रकाशित किये गए थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

- (i) सा.का.नि. 565 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 325(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Steel Tubes and Pipes) Rules, 1984, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Steel Tubes and Pipes) Amendment Rules, 1993.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Steel Tubes and Pipes) Rules, 1984 in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

"Explanation.—For the purposes of this rule, the expression "small scale industrial undertaking" means a company—

- (a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

- (i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and
- (ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and
- (b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crores rupees."

[F. No. 52/229/77-CAB]
SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note—Principal rules were published vide Notification No. G.S.R. 506, dated 26-5-1984 published in Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i), pages 1170 to 1193.

Subsequently amended by :

- (i) GSR 565 dated 22-7-1989.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा.का.नि. 326 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (इंजीनियरी उद्योग) नियम, 1984 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (इंजीनियरी उद्योग) संशोधन नियम, 1993 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागत लेखा अभिलेख (इंजीनियरी उद्योग) नियम, 1984 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपए से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

- (i) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और
- (ii) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या अवक्रीय आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किए गए आपन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।”

[फा.सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्लै, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. सा.क.नि. 688 तारीख 25-6-84 में भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), पृष्ठ 1657 से 1675 तक प्रकाशित किए गए थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

- (i) सा.का.नि. 1205 तारीख 16-10-84 (शुद्धिपत्र)
- (ii) सा.का.नि. 566 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 326(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Engineering Industries) Rules, 1984, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Engineering Industries) Amendment Rules, 1993.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Engineering Industries) Rules, 1984 in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

“Explanation—For the purposes of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means a company—

- (a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

- (i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and
- (ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and
- (b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees."

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, Jt. Secy

Note—Principal rules were published vide Notification No. G.S.R. 688 dated 25-6-84, published in the Gazette of India, Part II Section 3, sub-section (i) pages 1657 to 1675.

Subsequently amended by :

- (i) GSR 1205 dated 16-10-1984 (corrigendum).
- (ii) GSR 566 dated 22-7-1989.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा.का.नि. 327 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (विद्युत केबल और कडकंटर) नियम, 1984 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (विद्युत केबल और कडकंटर) संशोधन नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (विद्युत केबल और कडकंटर) नियम, 1984 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपये से अधिक न हो,

और इस प्रयोजन के लिए, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(i) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी, या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और

(ii) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या अवक्रम आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किए गए आपन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।”

(फा.सं. 52/229/77-सी.ए.वी.)

मुधु पिल्लै, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 767 तारीख 7-7-1984 में भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), पृष्ठ 1778 से 1809 पर प्रकाशित किये गए थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

(i) सा.का.नि. 1152 तारीख 28-9-84

(ii) सा.का.नि. 567 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 327(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Electrical Cables and Conductors) Rules, 1984, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Electrical Cables and Conductors) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Electrical Cables and Conductors) Rules, 1984, in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

“Explanation—For the purposes of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means a company—

(a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

(i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and

(ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

(b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees.”

(F. No. 52/229/77-CAB)

SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note—Principal rules were published vide Notification No. G.S.R. 767, dated 7-7-1984 published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) pages 1778 to 1809.

Subsequently amended by :

(i) GSR 1152 dated 28-9-1984.

(ii) GSR 567, dated 22-7-1989.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा.का.नि. 328(अ) :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (बेयरिंग) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (बेयरिंग) संशोधन नियम 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (बेयरिंग) नियम, 1985 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जायेगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिये, “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपये से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिये, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(i) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में उस पर कम्पनी की लागत; और

(ii) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या अवक्रम आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी को उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किये गये आपन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।”

[फा.सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्लै, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 664, तारीख 1-7-1985 में भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (i) पृष्ठ 1679 से 1704 पर प्रकाशित किये गये थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

(i) सा.का.नि. 1046, तारीख 22-10-1985 (शुद्धिपत्र)

(2) सा.का.नि. 568, तारीख 22-7-1989।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 328(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Bearings) Rules, 1985, namely :—

(1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Bearings) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Bearings) Rules, 1985, in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

“Explanation.—For the purposes of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means a company—

(a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

(i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and

(ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

(b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees.”

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note—Principal rules were published vide Notification No. GSR 664 dated 1-7-1985, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) pages 1679 to 1704.

Subsequently amended by :

(i) GSR 1046, dated 22-10-1985 (Corrigendum).

(ii) GSK 568, dated 22-7-1989.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा.का.नि. 329 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (दुग्ध खाद्य) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (दुग्ध खाद्य) संशोधन नियम 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (दुग्ध खाद्य) नियम, 1986 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जायेगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिये, “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन साठ लाख रुपये से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिए किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(i) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और

(ii) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या अवक्य आधर पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के मालिक की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किए गये आयन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।”

[फा. सं. 52/229/77-सी. ए. बी.]

सुधा पिल्ले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं. सा. का. नि. 866 तारीख 25-9-1986 द्वारा भारत के राजपत्र भाग-2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), पृष्ठ 3004 से 3052 पर प्रकाशित किये गये थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:

(i) सा. का. नि. 569, तारीख 22-7-1989।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 329(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Milk Food) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Milk Food) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Milk Food) Rules, 1986, in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:—

“Explanation—For the purposes of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means a company—

(a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be—

(i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and

(ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

(b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees.”

[F. No. 52/229/77-CAB]
SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note—Principal rules were published vide Notification No. GSR 866, dated 25-9-86, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) pages 3004 to 3052.

Subsequently amended by:

(i) GSR 569, dated 22-7-1989.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा. का. नि. 330(अ) :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अधिलेख (रासायनिक उद्योग) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अधिलेख (रासायनिक उद्योग) संशोधन नियम 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अधिलेख (रासायनिक उद्योग) नियम, 1987 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जायेगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिये, “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपये से अधिक न हो, और इस प्रयोजन के लिये, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(1) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और

(2) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या अवक्य आधर पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किये गये आयन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।”

[फा. सं. 52/229/77-सी. ए. बी.]

सुधा पिल्ले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, अधिसूचना सं. सा. का. नि. 596, तारीख 8-8-1987 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2

खण्ड 3, उपखंड (i), पृष्ठ 2032 से 2070 पर, प्रकाशित किये गये थे—

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

- (1) सा.का.नि. 732 तारीख 17-9-1988
- (2) सा.का.नि. 570 तारीख 22-7-1989
- (3) सा.का.नि. 34(अ) तारीख 3-1-1992 (1992 का 1)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 330(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Chemical Industries) Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Chemical Industries) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Chemical Industries) Rules, 1987, in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

“Explanation—For the purposes of this rule, the expression “small scale industrial undertaking” means a company—

(a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

(i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and

(ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

(b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees.”

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, Jr. Secy.

Note—Principal rules were published vide Notification No. GSR 596, dated 8-8-87 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) pages 2032 to 2070.

Subsequently amended by :

- (i) GSR 732, dated 17-9-1988.
- (ii) GSR 570 dated 22-7-1989.
- (iii) GSR 34(E) dated 3-1-1992 (1 of 1992).

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा.का.नि. 331(अ) :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की

उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (सूत्रण) नियम 1988 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (सूत्रण) संशोधन नियम 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (सूत्रण) नियम, 1988 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जायेगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण :—इस नियम के प्रयोजनों के लिये, “लघु औद्योगिक उपक्रम” अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है—

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपये से अधिक न हो; और इस प्रयोजन के लिये किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(1) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और

(2) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या अवकृष आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किये गये आपन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।”

[फा.सं. 52/229/77-सी.ए.बी.]

सुधा पिल्लै, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 452 तारीख 22-4-1988 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2 खण्ड 3, उपखंड (i) पृष्ठ 1632 से 1687 पर प्रकाशित किये गये थे।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :।

- (1) सा.का.नि. 571 तारीख 22-7-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 331(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Formulations) Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Formulations) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Formulations) Rules, 1988, in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

"Explanation—For the purposes of this rule, the expression "small scale industrial undertaking" means a company—

- (a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees, as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

- (i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and
(ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and
(b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees."

[F. No. 52/229/77-CAB]
SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note.—Principal rules were published vide Notification No. GSR 452, dated 22-4-88, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) pages 1632 to 1687.

Subsequently amended by :

- (i) GSR 571 dated 22-7-1989.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1993

सा.का.नि. 332(अ) :—केंद्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (लघु इस्पात संयंत्र) नियम, 1990 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (लघु इस्पात संयंत्र) संशोधन नियम 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (लघु इस्पात संयंत्र) विध्वन 1990 के नियम 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्न लिखित स्पष्टीकरण रखा जायेगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिये, "लघु औद्योगिक उपक्रम" अभिव्यक्ति से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है।

(क) जिसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को साठ लाख रुपये से अधिक नहीं, और इस प्रयोजन के लिये, किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(1) कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर कम्पनी की लागत; और

(2) कम्पनी द्वारा पट्टे पर या अचक्रय आधार पर धारित किसी मशीनरी या संयंत्र की दशा में, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की उस पर लागत; और

(ख) जिसमें कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों के विक्रय या प्रदाय से किये गये आपन का कुल मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।"

[फा.सं. 52/229/77/सी.ए.बी.]

सुधा पिल्लै, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 574 तारीख 31-7-1990 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1993

G.S.R. 332(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) & (2) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), herein after referred to as the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Cost Accounting Records (Mini Steel Plant) Rules, 1990, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Mini Steel Plant) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Mini Steel Plant) Rules, 1990, in rule 2, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

"Explanation—For the purposes of this rule, the expression "small scale industrial undertaking" means a company—

- (a) the aggregate value of the machinery and plant installed wherein does not exceed sixty lakh rupees as on the last day of the preceding financial year,

and for this purpose the value of any machinery or plant shall be,—

- (i) in the case of any machinery or plant owned by the company, the cost thereof to the company; and

- (ii) in the case of any machinery or plant held by the company on lease or by hire purchase, the cost thereof as in the case of owner of such machinery or plant; and

- (b) the aggregate value of the realisation made by the company from the sale or supply of all its products during the preceding financial year does not exceed ten crore rupees."

[F. No. 52/229/77-CAB]

SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Note.—Principal rules were published vide Notification No. GSR 574 dated 31st July, 1990.